

उत्तराखण्ड शासन,
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग

संख्या: 812 / XVIII-(2)/F/13-4(13)/2013
देहरादून, दिनांक : 17 अगस्त, 2013

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-501 / XVIII-(2)/F/13-15(18) / 2013, दिनांक 02.07.2013 के द्वारा आपदाग्रस्त जनपदों में राहत सामग्री एवं अनुग्रह सहायता आदि का वितरण समिति के माध्यम से जिलाधिकारी के समन्वय किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत से सम्बन्धित किसी भी विवाद का अन्तिम निपटारा निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

- 1- सम्बन्धित जनपद के प्रभारी मंत्री।
- 2- सम्बन्धित जनपद के मा0 सांसद।
- 3- मा0 संसदीय सचिव यदि सम्बन्धित जनपद से हों।
- 4- सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र के मा0 विधायक।
- 5- समिति द्वारा नामित एक सामाजिक कार्यकर्ता।

3- शासनादेश संख्या-501 / XVIII-(2)/F/13-15(18) / 2013, दिनांक 02.07.2013 का उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या- 812 (1) / XVIII-(2)/2013-4(13)/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित मा0 महानुभावों को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा0 आपदा प्रबंधन मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 7- सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 9- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 10- समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 11- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 12- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 13- अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा सं.
(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव